



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-“मिनी रत्न” कंपनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला: श्री गंगानगर(राज.)
फोन: 01509-220006, 220084, 223877(ऑफिस)
फैक्स: 01509-220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking-“MINI RATNA” Company)
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)
Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)
Fax: 01509-220068, 223877(Office)

No. CSF/SOG/HRT/02/2022-23/

दिनांक:- 13/07/2022

ई-निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) स्थित फलों के बगीचे में वर्ष 2022-23 में किये जाने वाले विभिन्न उद्यानिकी कार्य को करने हेतु ऑनलाइन निविदायें दिनांक 03/08/2022 को दोपहर 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो कि उसी दिन दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी। धरोहर राशि रुपये 10000/- मात्र का भुगतान RTGS/NEFT द्वारा फार्म खाते में या डिमाण्ड ड्राफ्ट जो “राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड”, सूरतगढ़ के नाम देय हो फार्म खजांची के पास जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र एवम् कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेब साईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है या किसी भी कार्य दिवस में 10.0 बजे से सांय 5.00 बजे तक फार्म से प्राप्त की जा सकती हैं। निविदादाता को नीलामी के समय अपने पेन कार्ड/ टिन न. की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु आधार अथवा अन्य सबूत की फोटो प्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी होगी।

प्रबन्धक (उ.)
कृते फार्म प्रमुख

PARTICULARS	DETAILS
Date of issue of NIT	13.07.2022
Date and time for submission of online bid	From 14.07.2022 09:30 AM To 03.08.2022 01:00 PM
Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode at NSC, HQ, Suratgarh	03.08.2022 on 3.00 PM
Tender Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT)	Rs. 236.00 (Rs. 200+18% GST)
EMD Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT) refer point no. 02 of T&C	Rs. 10,000.00 per chak.
Address for communication	Farm Head, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Suratgarh (Raj.)
Contact Person (with Phone No. & Email)	Sh.Veer Singh, Manager(Production) Mob.- 08949598268

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on <https://indiaseeds.enivida.com> by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN number, registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e-tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.
10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.
11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bid sheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.
12. Bidders must pay required payments (Tender fee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.
14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...

15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.
19. The time displayed in the server is IST(GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.
20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secretcy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - Phone: 9355030617, 8448288980

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

DECLARATION OF NON-BLACKLISTING

I/We.....Proprietor/Partner/Authorized signatory
of M/S..... do hereby solemnly
confirm and declare as under:

1. My above mention firm / name is not been Black listed/ Delisted/
Prosecuted by any Central/ State/ U.T. Government Organizations/
Departments/Autonomous body / Research institutions/ Corporations
from participation in tenders/ contracts.
2. That there is no criminal case pending against me in the Court of
law.
3. I/We understand that if during any stage of fruit Contract awarded to
me by Central State Farm, Suratgarh, Shri ganganagar, it comes to
knowledge that any information/documents related to fruit contract
submitted by me are false then CSF, Suratgarh, Shri ganganagar may
take disciplinary action against me as per terms and conditions of the
fruit Contact.

Verified that contents of above declaration are correct and true to the best of
my knowledge and belief. Nothing has been concealed by me herein.

Signature: -----
Place: -----
Name of Authorized Signatory: -----
Date: -----
Address:-----
Phone/Mobile No: - -----

Technical Requirement of Tender

<u>PARTICULARS</u>	<u>DETAILS</u>
Copy of GST Registration (*Not mandatory)	
Copy of Pan Card	
Copy of ID Proof i.e. Aadhar Card/Driving License etc.	
Copy of Firm Letter Head	
Details of EMD Deposite (Rs.)	
Terms & Conditions of fruit contract duly signed Note : Each page of Terms & Conditions should be signed by contractor/Tenderer	
Undertaking regarding non blacklisting of his firm/Individual.	

Signature with Stamp :

Name :

Address :

Mobile and E Mail ID :



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-“मिनी रत्न” कंपनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला: श्री गंगानगर(राज.)
फोन: 01509-220006, 220084, 223877(ऑफिस)
फैक्स: 01509-220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking-“MINI RATNA” Company)
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)
Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)
Fax: 01509-220068, 223877(Office)

No. CSF/SOG/HRT/02/2022-23/

दिनांक:-.....

टेण्डर फार्म वर्ष 2022-23 के उद्यान कार्य हेतु

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदा के आवश्यक नियमों और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं/हम अनुबंध के सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे और विभिन्न कार्यों के लिए मेरी/हमारी न्यूनतम दरों का विवरण नीचे दिया गया है:-

उद्यान एवम् नर्सरी कार्यों की दरें वर्ष 2022-23

क्र. सं.	कार्य विवरण	छोटे पेड़ 1-3 वर्ष आयु	बड़े पेड़ 3 वर्ष से अधिक आयु
		नई दरें (रूपये)	नई दरें (रूपये)
1	पेड़ों के नीचे बिना जुती जमीन को फावड़े से गुड़ाई करना, खाद उर्वरक डालना, गुड़ाई द्वारा फावड़े से मिलाना व तने पर 1-2 फीट तक मिट्टी चढ़ाना पेड़ के नीचे की ऊँची मिट्टी को पेड़ के पास खाली स्थान के गड्ढे में फेंकना प्रति पौधा प्रति पौधा
2	दवाई छिड़काव प्रति टैंकर	
3	बाग में फार्म ट्रैक्टर द्वारा स्प्रेयर से पेड़ों पर दवाई का छिड़काव प्रति टैंकर (400 लीटर) प्रति टैंकर	
3	बाग में कटाई व छंटाई का कार्य :-	किन्नू	किन्नू
	फलदार पेड़ों की सूखी टहनियों की कटाई, छंटाई करना, कटी लकड़ी को पेड़ों के नीचे से उठाकर खेत से बाहर जलाना।	माल्टा मौसमी	माल्टा मौसमी
		बेल	बेल
		नीबू	नीबू
		आंवला	आंवला
		(प्रति पौधा)	(प्रति पौधा)
4	बोर्डो पेंटिंग कार्य :- प्रति पौधा	
	बोर्डो पेंट तैयार करना, कटाई व छंटाई की गई शाखाओं के कटे भाग पर पेंट से पुताई तथा तने पर 1-2 फीट की उंचाई तक पेंटिंग करना पेड़ की शाखा में काले गोंद वाले स्थानों की पुताई करना। प्रति पौधा प्रति पौधा
5	बाग में सुधार कार्य :- प्रति मुरब्बा	
	बाग में फलदार पौधों के बीच में उगे हुए जंगली पौधों को जड़ से उखाड़ कर बाहर निकालना प्रति पौधा	
6	बाग में फलदार पौधों की डिसवडिंग करना प्रति पौधा प्रति पौधा
7	जट्टी खट्टी के फल तोड़कर बीज निकालना, क्यारी बनाकर बीज बोना। प्रति किलो	
8	पोलीथीन की थैलियों में निराई व गुड़ाई करना (10X1 मी. क्यारी)। प्रति बैड	
9	पिण्डी सहित पौधे निकालकर घास में बांधकर पैकिंग करके देना। प्रति पौधा	

10	छोटे बीजू पौधों को क्यारी में या पौलीथीन में शिफ्ट करना और पानी लगाना। प्रति पौधा	
11	नयी क्यारी 10x1 मी. आकार की बनाकर तैयार करना। प्रति क्यारी	
12	नर्सरी की क्यारी को खुरपी से निराई, गुड़ाई करना(10x1 मी. क्यारी) प्रति क्यारी	
13	बडिंग/ग्राफ्टिंग से तैयार पौधो को क्यारी बनाकर शिफ्ट करना व पानी लगाना। प्रति पौधा	
14	ट्रक में पौधो को चढाना व उतारना। प्रति पौधा	
15	बाग में पानी लगाना प्रति एकड़ प्रति एकड़	
16	कागज़ी नीम्बू और अमरूद की एयर लेयरिंग प्रति पौधा	

ठेकेदार के हस्ताक्षर-----

ठेकेदार का नाम-----

पता -----

आधार नं०-----

पेन नं०-----

दिनांक:.....

स्थान:.....



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम—“मिनी रत्न” कंपनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

जिला: श्री गंगानगर(राज.)

फोन: 01509-220006, 220084, 223877(ऑफिस)

फैक्स: 01509-220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking-“MINI RATNA” Company)

CENTRAL STATE FARM, SURATGARH

Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)

Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)

Fax: 01509-220068, 223877(Office)

No. CSF/SOG/HRT/02/2022-23/

दिनांक:12/07/2022

उद्यान कार्यों के लिए नियम व शर्तें वर्ष 2022-23

1. टेण्डर/नीलामी में भाग लेने से पूर्व कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारा पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, खेत का खसरा-खतोनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बन्धित हो। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत प्रमाण-पत्र व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची व उक्त वर्णित कागजात में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
2. प्रत्येक बोलीदाता/निविदादाता को बोली/टेण्डर में भाग लेने से पहले सम्मिलित होने के लिए फार्म द्वारा निश्चित की गई धरोहर राशि (ईएमडी) चकवार रूपये 10000/- (रूपये दस हजार मात्र) का भुगतान RTGS/NEFT द्वारा फार्म खाते में या डिमाण्ड ड्राफ्ट जो “राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड”, सूरतगढ़ के नाम देय हो फार्म खजौंची के पास जमा कराना होगा। असफल बोलीदाता की धरोहर राशि बोली समाप्त होने पर बैंक द्वारा लौटा दी जावेगी। बोली स्थल पर कोई अस्त्र-भास्त्र ले जाना निषिद्ध है। सन्देशास्पद दभा में तलाभी ली जा सकती है।
3. फार्म खातों का विवरण निम्न प्रकार है –
Account No : 34056542572
IFSC Code : SBIN0007774
Name of Account holder : NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD SURATGARH
Bank Name : State Bank of India, Suratgarh
4. सफल बोलीदाता को समझौते के साथ सुरक्षा राशि (Security Money) 10000/- जमा करानी होगी। उक्त राशि में ईएमडी की राशि भी समायोजित की जा सकती है। सुरक्षा राशि कार्य समाप्ति के बाद में बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
5. नियम एवं शर्तों के साथ निविदा प्रपत्र 236/- रूपये (200+18% GST) का भुगतान कर केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ से किसी भी कार्य दिवस में 10.0 बजे से सांय 5.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
6. सभी कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में समय से श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी जो कि उद्यान प्रभारी से एक दिन पहले मालूम करना होगा।
7. सफल बोलीदाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौता (एग्रीमेन्ट) रूपये 500/- के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर जो ठेकेदार द्वारा खरीदा जायेगा, पर करना होगा। जो ठेका होने के 7 दिवस में जमा कराना होगा।
8. यह अनुबंध दोनों फर्मों के बीच समझौता होने की तिथि से लागू होगा और अनुबंध की वैधता अवधि के अनुसार मान्य होगा। एक बार अनुबंध को अंतिम रूप देने के बाद सहमत दरें अनुबंध की अवधि के

लिए मान्य होंगी जैसा कि निविदा में निर्धारित है । अनुबंध को पारस्परिक रूप से , सहमत अवधि के लिए समान नियम-शर्त और दरों पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

9. फर्म द्वारा एकबार उद्धृत मूल्य अनुबंध की अवधि के लिए , बिना किसी वृद्धि / वृद्धि के किसी भी कारण से, जहां भी अनुबंध में विशेष रूप से प्रदान किया गया हो, के लिए रहेगा।
10. उद्धृत मूल्य पीएफ , ईपीएलआई, ईएसआई, बोनस, बीमा और किसी भी अन्य वैधानिक देनदारियों के समावेशी होगा।
11. मूल्य उद्धृत करते समय बोलीदाता को राजस्थान सरकार के प्रचलित लागू न्यूनतम वेतन (Minimum wages) को ध्यान में रखना चाहिए। यह बोलीदाता की जिम्मेदारी है कि वह अनुबंध के तहत किए जाने वाले सभी दायित्वों के बारे में खुद को शिक्षित करे।
12. कोई भी ठेकेदार या ठेकेदार का श्रमिक फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रखेंगे यदि कोई ठेकेदार पशु रखते हुए पाया गया तो ठेकेदार का ठेका रद्द किया जा सकता है।
13. यदि कोई ठेकेदार ठेका लेने/सहमति पत्र पर स्वीकृति के बाद कार्य करने के लिए पर्याप्त श्रमिकों का प्रबन्ध समय से नहीं कर पाता है तो उद्यान प्रभारी/खण्ड प्रभारी अपने स्तर पर प्रबन्ध करेंगे यदि इस कार्य में निर्धारित दर से अधिक देना पड़ता है या निगम को कोई हानि होती है तो वह राशि ठेकेदार के बिलों से काटी जायेगी।
14. उद्यानिकी कार्यों को करने के लिए कस्सी, दंराती तथा कसौला आदि ठेकेदार/ ठेकेदार के मजदूर स्वयं लेकर आयेगें।
15. फलदार पौधों की निराई –गुड़ाई की जांच का कार्य निदेशक द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो ठेकेदार को उस कार्य को दोबारा निःशुल्क करना होगा। दोबारा कराये गये कार्य का बिल नहीं बनाया जायेगा तथा असंतोषजनक कार्य की वजह से फसल की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ा तो निदेशक महोदय द्वारा गठित कमेटी के आंकलन के हिसाब से ठेकेदार के अन्य कार्य के बिलों से उस नुकसान की भरपाई कर ली जावेगी।
16. ठेकेदार की लापरवाही अथवा मजदूरों की उचित व्यवस्था न होने के कारण यदि फार्म को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई ठेकेदार के बिल से की जावेगी।
17. श्रमिक ठेकेदार द्वारा फार्म में रिश्वत/उपहार अथवा किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाना दण्डनीय अपराध होगा।
18. किसी भी प्रकार के कार्य के लिए किसी भी निश्चित समय पर कोई अग्रिम देय नहीं होगा ठेकेदार अपने खर्च पर संसाधनों , श्रमिकों की व्यवस्था करेगा । विशेष स्थिति में फार्म प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा।
19. कार्य का भुगतान कार्य की समाप्ति के बाद ही किया जायेगा तथा बिल में से आवश्यकतानुसार टैक्स आदि की कटौती की जावेगी। कार्य समाप्ति के बाद 7 दिवस में बिल बनाकर भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा एवं बिल राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं/फर्म के बैंक खाते में ही किया जायेगा। किसी कारण से श्रमिक ठेकेदार को बिल के भुगतान में देर होने पर भी श्रमिक ठेकेदार को कार्य समय पर पूरा करवाना होगा।
20. श्रमिक ठेकेदार को उसके मजदूरों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी जैसे की कर सम्बन्धित, भविष्य निधि, ई.एस.आई इत्यादि श्रमिक ठेकेदार की होगी। भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा जो कि आवश्यकता होने पर फार्म द्वारा कभी भी जाँचा जा सकता है

तथा बिल प्रस्तुत करते समय भविष्य निधि/ई.एस.आई की चालान की प्रति साथ लगानी होगी (*उक्त स्थिति रजि. फर्मों के टेण्डर में पार्टिसिपेशन पर लागू होगी)।

21. ठेकेदार को मजदूरों को लाने ले जाने अथवा रहने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यदि किसी परिस्थितिबश मजदूरों को लाने ले जाने की व्यवस्था फार्म को करनी पड़ी तो वह पूरा खर्चा फार्म की निर्धारित दरों पर ठेकेदार द्वारा देय होगा।
22. फसल में पानी लगाते समय खालों की देख रेख एवं पानी लगाने तक का कार्य मन्जूर दरों पर करना होगा। यदि फसल में अधिक पानी लगा दिया गया तो फसल में से अधिक पानी को ठेकेदार द्वारा निःशुल्क निकालना होगा।
23. यदि ठेकेदार व उसके मजदूरों के बीच किसी तरह का विवाद न्यायालय में जाता है तो ठेकेदार फार्म का बचाव अपने खर्चे पर करेगा। यदि फार्म को न्यायालय में अपना बचाव स्वयं करना पड़ा तो, जो भी खर्चा फार्म को होगा वह ठेकेदार से भरपाई किया जायेगा।
24. फार्म में कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होने की स्थिति में फार्म किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।
25. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार बच्चों व शराब पीएँ हुए मजदूरों को फार्म में कार्य पर लगाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है।
26. श्रमिक ठेकेदार अपने मजदूरों को दवाई (बीज उपचार एवं फसलों में स्प्रे करवाते समय) का कार्य करते समय मास्क व दस्ताने स्वयं देने होंगे। फसलों में स्प्रे करते समय अथवा बीजों का उपचार करते समय बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं व बीमार मजदूरों को काम पर नहीं लगायेगा तथा उद्यान इन्चार्ज द्वारा बताये गये निर्देशों का पालन करेगा। कार्य के दौरान उक्त श्रमिकों को दवाई लगने की स्थिति में, श्रमिक ठेकेदार स्वयं अपने खर्च पर उपचार करवायेगा।
27. यदि किसी ठेकेदार द्वारा कार्य संतोषजनक पूर्ण नहीं किया जाता है तो उसकी धरोहर राशि को जब्त करते हुए उसका नाम 02 वर्षों के लिये डिबार सूची में डाल दिया जायेगा।
28. सफल निविदादाता को आवंटित उद्यान में यदि उसके द्वारा कोई कार्य समय से नहीं किया जाता है या कार्य हेतु मजदूर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त कार्य किसी अन्य ठेकेदार से सफल निविदादाता की दर से करा लिया जायेगा, जिससे उसे कोई ऐतराज नहीं होगा।
29. **Arbitration clause (मध्यस्थता खंड) :** यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। पार्टियां कानून के न्यायालय में जानें से पहले मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रबंधक (उत्पादन)